भाकृअनुप-राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान (मानद विश्वविद्यालय)
ICAR-National Dairy Research Institute (Deemed University)
करनाल, हरियाणा (भारत). पिन-132001.
Karnal, Haryana (India). PIN-132001
राजभाषा एकक (HINDI CELL)
ईमेल : hindicell.ndri@icar.gov.in

फा.सं. राजभाषा 1(4)/2022-23-हिन्दी/ दिनांक : 26.07.2023

सेवा में,

स.प्र.अधि. स्था.1, 2, 3, 4, 5 व ऑडिट/क्रय/केन्द्रीय भण्डार/विश्वविद्यालय कार्यालय।
प्रभारी, पुस्तकालय सेवाएं, जन संपर्क अधिकारी,
सभी प्रभाग/अनुभाग (वैज्ञानिक व प्रशासनिक), राडेअनुसं, करनाल।

विषय : 01.07.2023 से 30.09.2023 तक की तिमाही हिंदी प्रगति रिपोर्ट के लिए आंकड़ें उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

आपके संज्ञान में विनम्रतापूर्वक लाना चाहता हूं कि संस्थान द्वारा दिनांक 01.07.2023 से 30.09.2023 तक की अवधि की राजभाषा हिन्दी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के हिन्दी अनुभाग को प्रेषित की जानी है। इसके लिए संस्थान के सभी प्रभाग एवं अनुभाग संलग्न प्रोफार्मा पर उपरोक्त अवधि के राजभाषा हिन्दी से संबंधी आंकड़ें दिनांक 29.09.2023 तक राजभाषा एकक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं जिससे कि उन आंकड़ों को संग्रहित/संकलित कर अपेक्षित उच्च कार्यालयों को समय से प्रेषित किया जा सके। ***किसी भी प्रकार की असुविधा होने की स्थिति में ईपीएबीएक्स संख्या 1045/1457 पर संपर्क कर समस्या का निराकरण करवा सकते हैं।***

संलग्नक : एक प्रफॉर्मा

भवदीय,

धीरज शर्मा

(धीरज शर्मा)
प्रभारी, राजभाषा एकक

प्रतिलिपि :

- निदेशक के प्रधान निजी सचिव के सूचनार्थ।
- संयुक्त निदेशक (प्रशासन) एवं कुलसचिव के प्रधान निजी सचिव के सूचनार्थ।
- प्रभारी, कंप्यूटर केंद्र, राडेअनुसं, करनाल को ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड व संस्थान की वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु।

(संलग्न प्रपत्र में 01.07.2023 से 30.09.2023 तक के आँकड़े भरे जाएंगे)

तिमाही हिन्दी बैठक हेतु जानकारी का प्रफॉर्मा

संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही हिन्दी बैठक हेतु प्रभागों/अनुभागों की जानकारी का प्रपत्र (इसी प्रपत्र में आँकड़ें भरकर व प्रभारी, लिपिक या प्रतिनिधि से हस्ताक्षर करवाकर संस्थान के राजभाषा एकक को शीघ्र भिजवा दें)

प्रभाग/अनुभाग का नाम	

1-	राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत पिछले तीन माह में जारी कागजात- (इनमें सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएं, नियम, करार, संविदा, टेंडर नोटिस, संसदीय प्रश्न आदि शामिल हैं) **नोट -नियमानुसार इस धारा के सभी दस्तावेज द्विभाषी या हिंदी में ही जारी किए जाने हैं।**	
2-	पिछले तीन माह में हिंदी में प्राप्त पत्रों की जानकारी (राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के तहत हिंदी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है)	
	आपके प्रभाग/अनुभाग में पिछले तीन माह में हिंदी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या	
	इनमें से कितनों के उत्तर हिन्दी में दिए गए	
	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिये गये	
	इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे	

3- अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' व 'ख' क्षेत्र के लिए)

नोट:

क क्षेत्र में- सभी हिंदी भाषी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश आते हैं एवं

ख क्षेत्र में-गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र आते हैं

क्षेत्र	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की सं. (1)	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए (2)
'क' क्षेत्र से		
'ख' क्षेत्र से		

4. भेजे गये कुल पत्रों का ब्योरा-

किस क्षेत्र को	हिंदी/द्विभाषी	केवल अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की कुल सं.	हिंदी/द्विभाषी पत्रों का प्रतिशत
'क' क्षेत्र				
'ख' क्षेत्र				
'ग' क्षेत्र				
कुल				

नोट -

क क्षेत्र में- सभी हिंदी भाषी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश आते हैं एवं

ख क्षेत्र में- गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र आते हैं

ग क्षेत्र में- क और ख क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र आते हैं।

5. फाइलों पर हिंदी में कार्य का अनुमानित प्रतिशत-

(क) पिछले तीन माह के दौरान लिखी गई कुल कार्यालय टिप्पणियों(नोट शीट्स) की संख्या:

(ख) इनमें से हिंदी में लिखी गई कार्यालय टिप्पणियां की संख्या :

(ग) इनमें से अंग्रेजी में लिखी गई कार्यालय टिप्पणियों की संख्या :

6. पुस्तकों, प्रकाशन एवं समाचार पत्रों की खरीद पर व्यय :

(पुस्तकालय द्वारा 01.07.2023 से 30.09.2023 तक की जानकारी अपेक्षित है)

1. वर्ष 2023-24 हेतु पुस्तक एवं प्रकाशन बजट शीर्ष में आवंटित कुल बजट राशि : रू.

2. 01.07.2023 से 30.09.2023 तक व्यय कुल राशि : रू.

3. क्र.सं. 2 पर व्यय राशि में से जर्नल, संदर्भ साहित्य एवं मानक पुस्तकों पर व्यय राशि : रू.

4. हिन्दी पुस्तकों/अखबारों आदि की खरीद पर व्यय राशि :

7. क्या राजभाषा नियमों एवं आदेशों का नियमानुसार पालन किया जा रहा है (हां/नहीं) :

8. क्या धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सामान्य आदेश, टेण्डर, विज्ञापन आदि द्विभाषी जारी किये जा रहे हैं(हां/नहीं) :

9. क्या राजभाषा नियम 5 के अनुसार हिंदी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिये जा रहे हैं(हां/नहीं) :

10. गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी चालू वित्तीय वर्ष के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न मदों के लिए जो न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन्हें प्राप्त करने की दिशा में सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं (हां/नहीं) :

11. क्या आपके अनुभाग को ज्ञात है कि सरकारी कामकाज में प्रयोग में लाये जाने वाली रबर की मुहरें द्विभाषी (हिंदी पंक्ति ऊपर एवं अंग्रेजी पंक्ति नीचे) या केवल हिंदी में बनाई जानी है तथा अंग्रेजी रजिस्टरों के स्थान पर द्विभाषी /हिंदी मुहरें बनवा कर अंग्रेजी मुहरों को नष्ट किया जाना हैं(हां/नहीं) :

12. पिछले तीन माह के दौरान वैज्ञानिकों/तकनीकी/मंत्रालयिक अन्य स्टाफ/किसानों आदि के लिए आयोजित किए गए प्रशिक्षणों/कोर्स आदि की संख्या (ब्यौरा अलग से संलग्न करें) :

प्रभाग/अनुभाग के अधिकारी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

दिनांक : / /

प्रतिलिपि- निदेशक, भाकृअनुप-राडेअनुसं, करनाल को सूचनार्थ।